

न्यायालय :- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी जिला कोटा

क्रमांक :- 562 - 567

दिनांक :- 26-11-18

:-आदेश:-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर का पत्र क्रमांक Gen./XIX/Misc./2002/609 दिनांक 18.05.18 एवं माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा के पत्रांक 1654-1658 व 3665-3669 दिनांक 16.11.18 की पालना में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु अधिनियम 2013 की धारा 4 के अन्तर्गत रामगंजमण्डी मुख्यालय हेतु तीन वर्ष के कार्यकाल हेतु पूर्व में गठित समिति में आंशिक संशोधन कर निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:-

- 01 श्री अभिषेक कोडप, - पीठासीन अधिकारी
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी
(मोबाईल नं. 7014656401)
- 02 श्रीमती उपासना कावट, - सदस्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगंजमण्डी
(मोबाईल नं. 8826845544)
- 03 श्री रूद्रमणी पाण्डेय, सरिश्तेदार - सदस्य
कार्यालय- एसीजेएम कोर्ट रामगंजमण्डी
(मोबाईल नं. 7627012175)
- 04 सुश्री विलमा फ्रांसिस, - सदस्य
अधिवक्ता बार एसोसिएशन, रामगंजमण्डी
(मोबाईल नं. 9829151782)

समिति का कार्यकाल अधिनियम के विधायी प्रावधानों की शर्तों के अधीन रहेगा।

उक्त समिति प्राप्त शिकायतों को स्थाई रजिस्टर में प्रविष्टि कर इनका निराकरण निर्धारित समयावधि में करते हुए माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा को सूचित करेगी।

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
रामगंजमण्डी जिला कोटा

क्रमांक:- 563

दिनांक:- 26-11-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 01 माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा
- 02 समस्त न्यायिक अधिकारीगण, रामगंजमण्डी मुख्यालय
- 03 संबंधित पीठासीन अधिकारी / सदस्यगण
- 04 नोटिस बोर्ड न्यायालय हाजा
- 05 कार्यालय प्रति

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
रामगंजमण्डी जिला कोटा

Scanned by CamScanner